

पत्र क्रमांक :- पमरे/का-भो/निर्माण विभाग/अधिसूचना

दिनांक : 31.07.2024

अधिसूचना

विषय :- पुनर्नियोजन (Re-engagement) के आधार पर निर्माण विभाग, भोपाल विभिन्न रिक्त पदों को भरने के संबंध में।

संदर्भ :- रेलवे बोर्ड का पत्र क्रमांक 2021/W-I/Genl./Gati Shakti Dated 27.07.2022

रेलवे बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्र के तहत पुनर्नियोजन (Re-engagement) के आधार पर निर्माण विभाग, भोपाल हेतु निम्न 05 पदों को भरा जाना है :-

SN	Designation	No. of Staff required
1	SSE/JE (Works)	01
2	SSE/JE (Design & Drawing)	02
3	ChOS/OS	01
4	PS - II	01
TOTAL		05

आवेदन हेतु नियम एवं शर्तें :-

- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16.08.2024 है।
- इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना आवेदन संलग्न प्रोफॉर्मा में भरकर ईमेल आईडी :- dycec3bpl@gmail.com पर भेज सकते हैं, इसके अतिरिक्त स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन निर्माण विभाग, मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय के समीप हबीबगंज, भोपाल (म.प्र.) पिन कोड - 462024 अग्रेषित कर सकते हैं। आवेदन के ऊपर यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो :- निर्माण विभाग, प.म.रे. हेतु आवेदन पत्र।

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम 16.08.2024 के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करें :-
(अ) सेवा प्रमाण-पत्र
(ब) सेवानिवृत्ति पहचान-पत्र
(स) पीपीओ की प्रति
(द) बैंक पासबुक के पृथम पृष्ठ की प्रति जिसमें खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड दर्शाया गया हो।
(ई) आधार कार्ड की प्रति।
(फ) पैन कार्ड की प्रति।
(ज) तीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
4. केवल रेल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे एवं यह आवश्यक है कि कर्मचारी अधिसूचना जारी होने की तिथि तक रेल सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका हो।
5. पुनर्नियोजन की अवधि, नियोजन दिनांक से 01 वर्ष तक के लिए होगी तदोपरांत प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से इसे बढ़ाया जा सकता है।
6. आवेदन हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए एवं यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी 65 वर्ष की आयु पुनर्नियोजन अवधि पूर्ण होने के पूर्व प्राप्त कर लेता है तब सेवानिवृत्त कर्मचारी की सेवा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
7. सेवानिवृत्त कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने अथवा अन्य किसी कारण से प्रशासन द्वारा 07 दिवस पूर्व नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
8. सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्हें अनुशासनिक कार्यवाही के द्वारा सेवा से हटाया गया है/निलंबित किया गया है वे आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
9. रेलवे बोर्ड के आरबीई - 150/2017 दिनांक 16.10.2017 के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्हें SRRS/LARSGESS योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए हैं, वे आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे साथ ही रेल सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति/रेल सेवा से निष्कासित/बर्खास्त के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी भी आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
10. पुनर्नियोजन उपरांत सेवानिवृत्त कर्मचारी CL/LAP/Sick Leave आदि रेलवे बोर्ड एवं मुख्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार रहेगी।
11. रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक E(NG)II/2007/RC-4/CORE/1 Date 29.10.2019 के अनुसार पुनर्नियोजित कर्मचारी मासिक पारिश्रमिक हेतु पात्र होंगे जो कि उनकी सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन (बेसिक एवं डीए के योग) से कम होगी। मासिक पारिश्रमिक एवं पेंशन का योग सेवानिवृत्त कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन से ज्यादा नहीं होना चाहिए।


31/07/2024

12. पुनर्नियोजन के समय सेवानिवृत्त कर्मचारी को समस्त नियम एवं शर्तों के पालन एवं स्वीकार्यता तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ कोई भी आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है, इस आशय का घोषणा-पत्र जमा करना होगा।
13. ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करते समय और उन्हें कर्तव्य सौंपते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सुरक्षा और अन्य परिचालन आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है।
14. पुनर्नियोजन हेतु निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में उपयुक्त पाए जाना होगा।
15. रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक 2018/TransCell/S&T/Contractual Staff दिनांक 25.10.2018 के अनुसार टीए/डीए का भुगतान किया जाएगा।
16. गति शक्ति यूनिट, भोपाल हेतु प्राप्त आवेदनों की पात्रता/उपयुक्तता के संबंध में निर्णय नामित कमेटी द्वारा किया जाएगा।
17. उक्त अधिसूचना पश्चिम मध्य रेल की वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in/ --- about us -- Recruitment --- Notification एवं कार्मिक विभाग के फेसबुक पेज **Personnel Department Bhopal Division** पर भी उपलब्ध है।
18. अधिसूचना के तहत किसी भी प्रकार का पत्राचार स्पीड-पोस्ट के माध्यम से नहीं किया जाएगा, साक्षात्कार हेतु बुलावा अथवा चयन आदि के संबंध में सूचना आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नम्बर/ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी।
19. पुनर्नियोजित कर्मचारियों की ड्यूटी के घंटे संबंधित श्रेणी की कार्य स्थितियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
20. पुनर्नियोजित कर्मचारियों को कार्य की आवश्यकता के अनुरूप किसी भी स्टेशन पर कार्य हेतु भेजा जा सकता है।
21. पुनर्नियोजन (Re-engagement) के आधार पर गति शक्ति यूनिट, भोपाल मंडल के विभिन्न पदों को भरने हेतु जारी अधिसूचना में दर्शाए गए नियम एवं शर्तों में निम्न चयन मापदण्डों को शामिल किया जाता है।

The select-list for re-engagement will be prepared on the basis of the following criteria by a committee consisting 03 JAG Officers :

SN	Requirements	Distribution of Marks
(i)	Knowledge of relevant field	20 marks
(ii)	Length of service in relevant field & experience in relevant field specially in construction and project, design, estimation	10 marks
(iii)	Educational qualification	10 marks
(iv)	Assessment by committee	10 marks
	Total	50 marks
	The qualifying marks shall be	30 marks

(नवीन कुमार)

सहायक कार्मिक अधिकारी (इंजी)/ भोपाल

निर्माण विभाग, भोपाल, पश्चिम मध्य रेलवे
सेवानिवृत्त पर्यवेक्षकों की पुनर्नियोजन हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

आवेदित पद लेवल विभाग

1.	आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	आईडी/भ.नि. संख्या	
4.	सेवानिवृत्ति के समय पदनाम	
5.	जन्म तिथि	
6.	नियुक्ति तिथि	
7.	सेवानिवृत्ति तिथि को कुल सेवा (दिन/माह/वर्ष)	
8.	शैक्षणिक अर्हता (दस्तावेज संलग्न)	
9.	सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन और पे-लेवल	
10.	सेवानिवृत्ति की तिथि	
11.	देय सेवानिवृत्ति (अधिवर्षिता/स्वैच्छिक से.नि./अनिवार्यता/लार्जस/सेवा से हटाना/निलंबन आदि)	
12.	सेवानिवृत्ति के समय आयु (दिन/माह/वर्ष)	
13.	यूनिट कार्यालय जहाँ से वे अंतिम/जिस पद के साथ सेवानिवृत्त हुए	
14.	पीपीओ संख्या	
15.	मूल पेंशन स्वीकृत	
16.	65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि	
17.	बैंक विवरण- (i) खाता संख्या - (ii) बैंक का नाम एवं पता - (iii) IFSC कोड -	
18.	आपके इलाके के दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम और उनके पते या दो संदर्भ जिनके बारे में आप जानते हैं	
19.	(क)(i) क्या आपके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही/सतर्कता कार्यवाही या कोई अन्य मामला सेवा के दौरान/सेवानिवृत्ति के बाद लंबित/वर्तमान में प्रक्रियाधीन है ? (हाँ/नहीं, यदि हाँ, तो विवरण दें)	
	(क)(ii) क्या आपको सेवा में रहते हुए कभी कोई दंड दिया गया है, यदि ऐसा है, तो उसका विवरण दें।	
	(ख) क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया है/हिरासत में रखा गया है या आपके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित है ? (हाँ/नहीं)	
	(ग) यदि उल्लेखित किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है तो मामले/गिरफ्तारी/दोषी सजा आदि का पूरा विवरण दें और अदालत/विभाग/ पीएसयू आदि में लंबित मामले की प्रकृति इत्यादि (हाँ/नहीं)	
20.	मोबाइल नम्बर (व्हाट्सएप) एवं ईमेल आईडी	

(उपरोक्त सभी कॉलम सावधानीपूर्वक भरा जाये एवं कोई भी कॉलम रिक्त न छोड़ा जाए)

Handwritten signature and date
31/07/2024

घोषणा-पत्र

1.	पश्चिम मध्य रेलवे के निर्माण विभाग, भोपाल में पुनर्नियोजन/रि-एम्प्लॉयमेंट हेतु मेरे आवेदन के सन्दर्भ में, मैं(पूरा नाम) घोषणा करता हूँ कि मेरे खिलाफ कोई डीएंडआर और सतर्कता मामले लंबित नहीं हैं, मैं एतद्वारा पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सत्य और सही हैं। किसी भी गलत जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा और इसके लिए मेरी पुनर्नियोजन सेवा तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।
2.	मैं रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)-II/2007/RC-4/CORE/1, दिनांक 16/10/2017 (आरबीई संख्या 150/2017) और दिनांक 12/12/2017 (आरबीई संख्या 193/2017) में उल्लेखित नियमों और शर्तों तथा भारतीय रेल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन पुनर्नियोजन के लिए तैयार हूँ।
3.	मुझे पता है कि मेरी सेवाएं किसी भी समय असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण या आरआरबी/आरआरसी से नए पैनल की प्राप्ति के कारण, बिना किसी सूचना के पुनर्नियोजित रेलवे पर्यवेक्षकों को पुनर्नियोजन की सेवा से हटाया जा सकता है।
4.	मैं इसके साथ अपने सेवा प्रमाण-पत्र, पेंशनभोगी पहचान पत्र, पीपीओ, आधार कार्ड और पैन कार्ड की सत्यापित फोटो कॉपी संलग्न कर रहा हूँ।
5.	मैं पुनर्नियोजन के सभी नियमों और शर्तों से सहमत हूँ।

हस्ताक्षर

नाम

पता

.....

मो0 नं0

Shiv
31/07/2021